<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	उमेश राम
पिता/पति का नाम	:–	लालजीत राम
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**01**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**478**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	राहुल कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:–	रामकेश्वर
वर्ग	:–	अनारक्षित

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**02**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**736**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	रवि कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:–	श्रवण कुमार साहू
वर्ग	:–	अनारक्षित

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**03**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**738**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	अमन दीप अमित
पिता/पति का नाम	:–	सहस राम
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**04**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**887**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	रूपेश कुमार
पिता/पति का नाम	:–	शंकरलाल
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	05
पंजीयन क्रमांक	**–**	1032
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	रामकुमार
पिता/पति का नाम	:–	मान साय रोहिदास
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**06**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**1288**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	अजय कुमार
पिता/पति का नाम	:–	ठंडु राम
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	07
पंजीयन क्रमांक	**–**	2012
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	रोशन कुमार
पिता/पति का नाम	:–	बुधराम
वर्ग	:–	अनारक्षित

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**08**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**343**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	बिजेन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम	:–	समरथ
वर्ग	:–	अ०ज०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**09**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**859**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	भलेश्वर
पिता/पति का नाम	:–	चंदन लाल
वर्ग	:–	अनारक्षित

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	10
पंजीयन क्रमांक	**–**	2075
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	गजेन्द्र सिंह
पिता/पति का नाम	:–	गोपाल सिंह
वर्ग	:–	अ०ज०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**11**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**208**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	काजल यादव
पिता/पति का नाम	:–	शिव मोहन यादव
वर्ग	:–	अनारक्षित

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	12
पंजीयन क्रमांक	**–**	209
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	रितेश कुमार सारथी
पिता/पति का नाम	:–	शिव कुमार सारथी
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	13
पंजीयन क्रमांक	**–**	96
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	नवीन कुमार
पिता/पति का नाम	:–	दुर्गा दास
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**14**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**684**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	विनय कुमार यादव
पिता/पति का नाम	:–	शिवमोहन यादव
वर्ग	:–	अनारक्षित

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**15**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**222**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	अशोक कुमार
पिता/पति का नाम	:–	सुनेश्वर राम
वर्ग	:–	अ०ज०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**16**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**350**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	अंगद टोप्पो
पिता/पति का नाम	:–	रामनारायण टोप्पो
वर्ग	:–	अ०ज०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**17**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**894**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	श्यामलाल यादव
पिता/पति का नाम	:–	स्व० मनबोध राम
वर्ग	:–	अनारक्षित

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**18**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**30**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	अर्चना राजवाड़े
पिता/पति का नाम	:–	विनोद कुमार राजवाड़े
वर्ग	:–	अनारक्षित

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**19**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**1123**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	रूद्रकांत साहू
पिता/पति का नाम	:–	उमाकांत साहू
वर्ग	:–	अनारक्षित

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**20**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**907**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	राहुल रात्रे
पिता/पति का नाम	:–	सत्यनारायण रात्रे
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**21**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**801**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	वतन सिंह राठौर
पिता/पति का नाम	:–	स्व० कोमल सिंह
वर्ग	:–	अनारक्षित

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	22
पंजीयन क्रमांक	**–**	1205
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रभु राम
पिता/पति का नाम	:–	राम लाल
वर्ग	:–	अनारक्षित

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**23**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**1868**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	भावना पटेल
पिता/पति का नाम	:–	बोहित राम पटेल
वर्ग	:–	अनारक्षित

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**24**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**1289**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनारक्षित)
अभ्यर्थी का नाम	:–	शंकर कुमार पटेल
पिता/पति का नाम	:–	बोहित राम पटेल
वर्ग	:–	अनारक्षित

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	25
पंजीयन क्रमांक	**–**	1240
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	आकाश राजगीर
पिता/पति का नाम	:–	धनश्याम राजगीर
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**26**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**365**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	मनसा राम पाटले
पिता/पति का नाम	:–	स्व० फिरत राम पाटले
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**27**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**149**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	अमरनाथ
पिता/पति का नाम	:–	रामफल
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**28**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**717**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	दिनेश कुमार जांगड़े
पिता/पति का नाम	:–	हरिराम जांगड़े
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**29**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**962**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	रिया रैदास
पिता/पति का नाम	:–	रामसुमिरन
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**30**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**797**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	विशाल कुमार कन्दरा
पिता/पति का नाम	:–	स्व० अमीरचन्द कन्दरा
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**31**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**2303**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	ब्रिजेश टंडन
पिता/पति का नाम	:–	गोविन्द टंडन
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**32**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**1386**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	योगेश कुमार
पिता/पति का नाम	:–	संतोष कुमार
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	33
पंजीयन क्रमांक	**–**	175
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	सत्संग सोलंकी
पिता/पति का नाम	:–	जगजीवन सोलंकी
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**34**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**165**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	मनीष सोनवानी
पिता/पति का नाम	:–	चन्द्रबली सोनवानी
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**35**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**199**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	पुष्पराज खुटले
पिता/पति का नाम	:–	स्व० विमल खुटले
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**36**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**406**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रशांत
पिता/पति का नाम	:–	घुराऊ राम
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**37**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**528**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	महेश्वर राम
पिता/पति का नाम	:–	अनुक राम
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**38**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**735**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	उमेश कुमार मनहर
पिता/पति का नाम	:–	भगवती प्रसाद मनहर
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**39**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**761**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	सुरेन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम	:–	हेतूराम रात्रे
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	40
पंजीयन क्रमांक	**–**	1012
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	बोधमती रात्रे
पिता/पति का नाम	:–	गजपति रात्रे
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**41**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**1051**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रदीप कुमार
पिता/पति का नाम	:–	जागेश्वर प्रसाद
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	42
पंजीयन क्रमांक	**–**	1360
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	विल्सन बंजारे
पिता/पति का नाम	:–	परस बंजारे
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**43**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**1550**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	सिधान्त कुमार चौधरी
पिता/पति का नाम	:–	राजाराम चौधरी
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**44**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**1578**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	ज्ञानी गुरूनाम सिंह
पिता/पति का नाम	:–	स्व० सालिक राम
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**45**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**1740**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	विरेन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम	:–	लखन लाल
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**46**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**1993**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	संदीप कुमार
पिता/पति का नाम	:–	रामलाल
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**47**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**2050**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति)
अभ्यर्थी का नाम	:–	वेद कुमार बघेल
पिता/पति का नाम	:–	देवलाल बघेल
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**48**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**2076**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	रूबी सोनवानी
पिता/पति का नाम	:–	विजय सोनवानी
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**49**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**309**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	उमेश बंजारे
पिता/पति का नाम	:–	प्रदीप बंजारे
वर्ग	:–	अ०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	50
पंजीयन क्रमांक	**–**	1727
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	सुमित्रा केरकेट्टा
पिता/पति का नाम	:–	सियाराम
वर्ग	:–	अ०ज०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**51**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**1242**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	चांदसितारा
पिता/पति का नाम	:–	अनुक साय
वर्ग	:–	अ०ज०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**52**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**1313**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	सरोज नागवंशी
पिता/पति का नाम	:–	हरिलाल राम
वर्ग	:–	अ०ज०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**53**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**704**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	सुरेन्द्र सिंह आयाम
पिता/पति का नाम	:–	बुदेश्वर सिंह
वर्ग	:–	अ०ज०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**54**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**2096**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रदीप कुजूर
पिता/पति का नाम	:–	लोहर साय कुजूर
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	55
पंजीयन क्रमांक	**–**	1227
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति)
अभ्यर्थी का नाम	:–	तरसीला बेक
पिता/पति का नाम	:–	अरविन्द बेक
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	56
पंजीयन क्रमांक	**–**	1412
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	पीताम्बर सिंह
पिता/पति का नाम	:–	लाल विरेन्द्र सिंह
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	57
पंजीयन क्रमांक	**–**	2082
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	अंजन कुमार
पिता/पति का नाम	:–	हरिलाल राम
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	58
पंजीयन क्रमांक	**–**	1150
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	निकिता एक्का
पिता/पति का नाम	:–	विनय एक्का
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	59
पंजीयन क्रमांक	**–**	538
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	अलिशोक खलखो
पिता/पति का नाम	:–	रोमल खलखो
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	60
पंजीयन क्रमांक	**–**	1757
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**अशोक कुमार पैंकरा**
पिता/पति का नाम	:–	**सत्यनारायण पैंकरा**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	61
पंजीयन क्रमांक	–	267
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	ओंकारेश बड़ा
पिता/पति का नाम	:–	मदन बड़ा
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	62
पंजीयन क्रमांक	**–**	1384
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	कुमारी पार्वती
पिता/पति का नाम	:–	रामदेव
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	63
पंजीयन क्रमांक	**–**	1053
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**प्रदीप कुमार**
पिता/पति का नाम	:–	**बुधराम**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	64
पंजीयन क्रमांक	–	1139
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	सुनीता खलखो
पिता/पति का नाम	:–	राम प्रसाद बड़ा
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	65
पंजीयन क्रमांक	**–**	604
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**परमानंद तिर्की**
पिता/पति का नाम	:–	**जवाहर लाल**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	66
पंजीयन क्रमांक	–	95
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	दिनेश कुमार
पिता/पति का नाम	:–	सुखराम
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	67
पंजीयन क्रमांक	**–**	1388
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	अमलेश बड़ा
पिता/पति का नाम	:–	मदन बड़ा
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	68
पंजीयन क्रमांक	**–**	1380
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	अलका रानी
पिता/पति का नाम	:–	शोभनाथ भगत
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	69
पंजीयन क्रमांक	**–**	357
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	धर्मे ओहमा तिर्की
पिता/पति का नाम	:–	नान साय तिर्की
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	70
पंजीयन क्रमांक	**–**	2239
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	नेहा पैंकरा
पिता/पति का नाम	:–	ताराचंद पैंकरा
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	71
पंजीयन क्रमांक	**–**	2112
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	अनीश कुमार पैंकरा
पिता/पति का नाम	:–	अवधनारायण सिंह
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	72
पंजीयन क्रमांक	**–**	46
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	मोहन सिंह मराबी
पिता/पति का नाम	:–	पिताम्बर सिंह मराबी
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**73**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**86**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।

2– लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।

3– लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।

4– लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

5– प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।

6– परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।

7– लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।

8– लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	नीलु
पिता/पति का नाम	:–	राजकुमार
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**74**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**94**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	कृष्ण कुमार
पिता/पति का नाम	:–	गंभीर साय
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	75
पंजीयन क्रमांक	**–**	114
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	असिन्ता
पिता/पति का नाम	:–	प्रधान राम
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	76
पंजीयन क्रमांक	**–**	180
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	सुमेश कुमार बखला
पिता/पति का नाम	:–	बैजनाथ
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	77
पंजीयन क्रमांक	**–**	254
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	मिथलेश कुमार
पिता/पति का नाम	:–	अलिप कुमार सनेही
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	78
पंजीयन क्रमांक	**–**	269
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	अंवतिका
पिता/पति का नाम	:–	विजय नाथ
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	79
पंजीयन क्रमांक	**–**	272
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	करमचंद
पिता/पति का नाम	:–	स्व० लम्बोदर सिंह
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	80
पंजीयन क्रमांक	**–**	307
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	देव शरण राम
पिता/पति का नाम	:–	नेतु राम
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**81**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**316**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	सुभाष कुमार
पिता/पति का नाम	:–	हेमनारायण राम
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	82
पंजीयन क्रमांक	**–**	328
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	रोहित किस्पोट्टा
पिता/पति का नाम	:–	सुमन किस्पोस्ट्टा
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	83
पंजीयन क्रमांक	**–**	359
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	धनेश्वर सिंह
पिता/पति का नाम	:–	कुमेश्वर
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**84**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**423**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	मनीष कुमार
पिता/पति का नाम	:–	बालकृष्ण कोरम
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**85**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**468**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	कुम्भनाथ
पिता/पति का नाम	:–	बाबूलाल
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**86**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**470**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	अभिषेक भगत
पिता/पति का नाम	:–	विन्देश्वर भगत
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**87**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**471**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	शुभम प्रताप सिंह
पिता/पति का नाम	:–	मुंगेश्वर सिंह
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	88
पंजीयन क्रमांक	**–**	527
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	रेखा मिंज
पिता/पति का नाम	:–	बन्दे मिंज
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	89
पंजीयन क्रमांक	**–**	558
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	कु. चेतन
पिता/पति का नाम	:–	लखन लाल
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	90
पंजीयन क्रमांक	**–**	560
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	आनन्द कुमार टोप्पो
पिता/पति का नाम	:–	बहादुर टोप्पो
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	91
पंजीयन क्रमांक	**–**	571
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	प्रेमशीला मिंज
पिता/पति का नाम	:–	जानकी मिंज
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	92
पंजीयन क्रमांक	**–**	580
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	सीता कुजूर
पिता/पति का नाम	:–	कौशल कान्त
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**93**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**584**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**मनोज कुजूर**
पिता/पति का नाम	:–	**हरियर कुजूर**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	94
पंजीयन क्रमांक	–	681
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**जोहन तिग्गा**
पिता/पति का नाम	:–	**स्व० टिबला**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	95
पंजीयन क्रमांक	–	685
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**रिचा सिंह**
पिता/पति का नाम	:–	**कृष्णा सिंह**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	96
पंजीयन क्रमांक	–	697
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**मलय केरकेट्टा**
पिता/पति का नाम	:–	**मुकेन्द केरकेट्टा**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	97
पंजीयन क्रमांक	–	731
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**राहुल कुमार सिंह**
पिता/पति का नाम	:–	**चंद्र कुमार सिंह**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	98
पंजीयन क्रमांक	–	754
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**अनुराधा सिंह**
पिता/पति का नाम	:–	**तहसील सिंह**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	99
पंजीयन क्रमांक	–	831
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**डेविड कुजूर**
पिता/पति का नाम	:–	**विश्वनाथ कुजूर**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	100
पंजीयन क्रमांक	–	833
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**रोशनी एक्का**
पिता/पति का नाम	:–	**अंजलुस एक्का**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	101
पंजीयन क्रमांक	–	862
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**रोशन कुजूर**
पिता/पति का नाम	:–	**संतोष कुजूर**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	102
पंजीयन क्रमांक	–	872
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**मनीष नगेशिया**
पिता/पति का नाम	:–	**केन्दल नगेशिया**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	103
पंजीयन क्रमांक	–	965
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**महेश**
पिता/पति का नाम	:–	**सूरज राम**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	104
पंजीयन क्रमांक	–	1043
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**सावित्री**
पिता/पति का नाम	:–	**कौशल प्रसाद**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	105
पंजीयन क्रमांक	–	1059
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**अंजेला मिंज**
पिता/पति का नाम	:–	**स्व०सोनसाय मिंज**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	106
पंजीयन क्रमांक	–	1158
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**अनिता सिंह**
पिता/पति का नाम	:–	**खुशियाली राम**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	107
पंजीयन क्रमांक	–	1161
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**निकेश कुमार**
पिता/पति का नाम	:–	**पंचानंद**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	108
पंजीयन क्रमांक	–	1163
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**अरविन्द सिंह**
पिता/पति का नाम	:–	**जगमोहन प्रसाद**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	109
पंजीयन क्रमांक	–	1225
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**प्रवीण कुमार खलखो**
पिता/पति का नाम	:–	**बलदेव**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	110
पंजीयन क्रमांक	–	1286
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**सायन्ति तिर्की**
पिता/पति का नाम	:–	**राजेन्द्र तिर्की**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	111
पंजीयन क्रमांक	–	1302
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**प्रिस्का एक्का**
पिता/पति का नाम	:–	**सरजन एक्का**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	112
पंजीयन क्रमांक	–	1315
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**महेश्वरी**
पिता/पति का नाम	:–	**मोतीलाल**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	113
पंजीयन क्रमांक	–	1318
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**प्रवीण कुमार**
पिता/पति का नाम	:–	**राजेश कुमार**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	114
पंजीयन क्रमांक	–	1343
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**मीना**
पिता/पति का नाम	:–	**नोहर साय**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	115
पंजीयन क्रमांक	–	1387
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**सूर्यकान्त टोप्पो**
पिता/पति का नाम	:–	**सुभाष टोप्पो**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	116
पंजीयन क्रमांक	–	1396
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**ओम प्रकाश खाखा**
पिता/पति का नाम	:–	**शनि राम**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	117
पंजीयन क्रमांक	–	1426
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**शीतल तिर्की**
पिता/पति का नाम	:–	**वाल्टर तिर्की**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	118
पंजीयन क्रमांक	–	1474
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**वंशिका सिंह**
पिता/पति का नाम	:–	**संजय कुमार सिंह**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	119
पंजीयन क्रमांक	–	1486
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**प्रीति पैंकरा**
पिता/पति का नाम	:–	**कैदी राम**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	120
पंजीयन क्रमांक	–	1543
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**मुकेश कुमार**
पिता/पति का नाम	:–	**समय लाल**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	121
पंजीयन क्रमांक	–	1617
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**टेशम सिंह**
पिता/पति का नाम	:–	**हेमन्त कुमार**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	122
पंजीयन क्रमांक	–	1632
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**सीता किण्डो**
पिता/पति का नाम	:–	**शिवबालक किण्डो**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	123
पंजीयन क्रमांक	–	1636
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**मनोज कुमार**
पिता/पति का नाम	:–	**जुले राम**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	124
पंजीयन क्रमांक	–	1697
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	**लिखित परीक्षा**
आवेदित पद का नाम	:–	**भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)**
अभ्यर्थी का नाम	:–	**सलोमी कुजूर**
पिता/पति का नाम	:–	**टेकराम**
वर्ग	:–	**अनुसूचित जनजाति**

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	–	125
पंजीयन क्रमांक	–	1707
परीक्षा केन्द्र का नाम	–	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	–	29.11.2026
परीक्षा का समय	–	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)

प्रवेश–पत्र

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	दीपक कुमार मरकाम
पिता/पति का नाम	:–	चुठुल राम
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	126
पंजीयन क्रमांक	**–**	1774
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	धर्मावली
पिता/पति का नाम	:–	सुनिल
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	127
पंजीयन क्रमांक	**–**	1775
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	शीतल तिर्की
पिता/पति का नाम	:–	स्व० जुगेश्वर तिर्की
वर्ग	:–	अ०ज०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	128
पंजीयन क्रमांक	**–**	1782
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	अंकित तिग्गा
पिता/पति का नाम	:–	जयललकार तिग्गा
वर्ग	:–	अ०ज०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	129
पंजीयन क्रमांक	**–**	1832
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	मंजू कुजूर
पिता/पति का नाम	:–	कपिल कुजूर
वर्ग	:–	अ०ज०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**130**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**1859**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	ज्योति कुजूर
पिता/पति का नाम	:–	हीरालाल
वर्ग	:–	अ०ज०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**131**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**1880**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	अभिषेक किस्पोट्टा
पिता/पति का नाम	:–	प्रदीप कुमार किस्पोट्टा
वर्ग	:–	अ०ज०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**132**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**1963**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	सावन संत कुमार
पिता/पति का नाम	:–	ठाकुर सिंह
वर्ग	:–	अ०ज०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**133**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**1967**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	चन्द्रशेखर
पिता/पति का नाम	:–	प्रेम सिंह
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**134**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**2004**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	राकेश खलखो
पिता/पति का नाम	:–	भूषण खलखो
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**135**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**2015**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	अनुराधा कुजूर
पिता/पति का नाम	:–	रामलाल कुजूर
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**136**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**2056**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	अनिता
पिता/पति का नाम	:–	राजेश कुमार
वर्ग	:–	अ०ज०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**137**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**2098**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	निखिल सिंह देव
पिता/पति का नाम	:–	पनेन्द्र सिंह
वर्ग	:–	अ०ज०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**138**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**2139**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	मधुमालती पैंकरा
पिता/पति का नाम	:–	संतोष कुमार पैंकरा
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	139
पंजीयन क्रमांक	**–**	2162
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	29.11.2026
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	कमलेन्द्र सिंह
पिता/पति का नाम	:–	प्रभुराज सिंह
वर्ग	:–	अ०ज०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**140**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**2172**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	संजुलता
पिता/पति का नाम	:–	मन्देश्वर सिंह
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**141**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**2202**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	श्वेता सिंह
पिता/पति का नाम	:–	सुमेश कुमार
वर्ग	:–	अ०ज०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**142**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**2223**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	नीता सिंह
पिता/पति का नाम	:–	बिन्धेश्वर सिंह
वर्ग	:–	अ०ज०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**143**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**2228**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	ममता
पिता/पति का नाम	:–	तिलकधारी
वर्ग	:–	अ०ज०जा०

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**144**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**2247**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	नेहा रोश मिंज
पिता/पति का नाम	:–	मरियानुस मिंज
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**145**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**2265**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	सीमा एक्का
पिता/पति का नाम	:–	लाल एक्का
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**146**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**2289**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)</u>

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षा का नाम	:–	लिखित परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:–	भृत्य (अनुसूचित जनजाति मुक्त)
अभ्यर्थी का नाम	:–	जयमुनी पैंकरा
पिता/पति का नाम	:–	पनमेश्वर पैंकरा
वर्ग	:–	अनुसूचित जनजाति

अभ्यर्थी, अपना स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	**–**	**147**
पंजीयन क्रमांक	**–**	**2290**
परीक्षा केन्द्र का नाम	**–**	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, अम्बिकापुर**
परीक्षा का दिनांक	**–**	**29.11.2026**
परीक्षा का समय	**–**	**सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**

सही/–
अध्यक्ष चयन समिति
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

<u>परीक्षार्थी के लिये अनुदेश</u>

1– *परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।*

2– *लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं किया जावेगा।*

3– *लिखित परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है।*

4– *लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, वर्जित कागजात, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।*

5– *प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं।*

6– *परीक्षार्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/ आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अनुमति नहीं दी जावेगी।*

7– *लिखित परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।*

8– *लिखित परीक्षा के समय न्यायालय परिसर में मोबाईल फोन या कोई इलेक्ट्रानिक डिवाईस लाना वर्जित है।*

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

23/10/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल